



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218771
CG-DL-E-18032020-218771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1019]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No. 1019]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

का.आ. 1127(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) में "पांच सौ पैंतालीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "सात सौ पच्चीस दिन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या का.आ. 2537(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2020

S.O. 1127(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in clause (d) of sub-rule (3) of rule 5, for the words, “five hundred and forty five days”, the words, “seven hundred and twenty five days” shall be substituted.

[F. No. 25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist ‘G’

Note : The principal rules were published *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 2537(E), dated the 8th August, 2017.